

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक:- 62 /12-1, दिनांक, पौड़ी, जुलाई, 08 | 2024.
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत नारायणबगड़-किमोली मोटर मार्ग के किमी 0 8 से नैणी मल्ली मुस्याउड़ियार-बूंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.394 है० आरक्षित, 0.925 है० सिविल भूमि कुल 4.346 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। प्र० सं०- FP/UK/ROAD/46968/2020

सन्दर्भ:- आपकी पत्र सं० 6584 / 12-1 दिनांक 01.06.2024
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से आपके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जो इस कार्यालय में दिनांक 24.06.2024 को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन करने पर निम्न कमियां हैं-

1. प्रस्ताव में 0-10 व्यास वर्ग के वृक्षों के वृक्षों की संख्या अंकित नहीं की गई है। 0-10 व्यास वर्ग के वृक्षों की संख्या अंकित की जाए।
2. प्रस्ताव की तीन प्रतियों में से दो प्रतियों में परियोजना के लम्बाई-चौड़ाई वाले प्रपत्र में कुल क्षेत्रफल 5.303 है० तथा एक प्रति में 4.413 है० अंकित किया गया है के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।
3. प्रस्ताव की 3 प्रतियों में से 02 प्रतियों में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तथा अधिकांशतः परियोजना के नाम में सिविल भूमि, आरक्षित भूमि कितनी प्रभावित हो रही है का उल्लेख नहीं किया गया है।
4. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले एस०आई०आर० (Site Inspection Report) में निरीक्षण की तिथि दिनांक 06.04.2028 अंकित की गई है के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए।
5. प्रस्ताव के लैण्ड-शैड्यूल में आरक्षित, सिविल, वन पंचायत भूमि में मक डिस्पोजल के लिये कितना क्षेत्रफल लिया गया है स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
6. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम-सुया सिविल में प्रस्तावित किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की डी०एस०एस० रिपोर्ट परिवेश पोर्टल के पार्ट-। एवं पार्ट-।। में अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न की जाए।
7. एस०आई०आर० संलग्न प्रारूप में (संलग्नक-1) तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।
- 8.* आपके द्वारा प्रस्ताव की 3 हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित की गई है जबकि प्रस्ताव की 4 हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित की जाती है जिसमें से 3 हार्ड प्रतियां उच्चस्तर को प्रेषित की जाती है कृपया प्रस्ताव की 4 हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

अतः विषयांकित प्रस्ताव मूल में संलग्न कर इस आशय से लौटाया जा रहा है कि उपरोक्त कमियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव की 04 हार्ड प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।